भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5982
01.04.2026 को उत्तर देने के लिए

एमपीलैड में वृद्धि

5982. श्री अमरा रामः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड) योजना कब शुरू की गई और उक्त योजना की राशि कब-कब बढ़ाई गई है;

(ख) क्या सरकार का उक्त योजना के अंतर्गत राशि में वृद्धि करने का विचार है, यदि हां, तो इस वृद्धि को कब तक लागू किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस तथ्य के दृष्टिगत कि राजस्थान के एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में आमतौर पर आठ विधान सभाएं होती हैं, क्या एक विधान सभा सदस्य को क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत पांच करोड़ रुपये मिलते हैं वहीं एक संसद सदस्य को भी एमपीलैड योजना के अंतर्गत पांच करोड़ रुपये मिलते हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) वर्ष 1993-94 में आरंभ की गई थी, जिसमें प्रत्येक संसद सदस्य के लिए 5.00 लाख रुपये का वार्षिक आवंटन निर्धारित किया गया था, जिसे 1994-95 में बढ़ाकर 1.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया, और 1998-99 में इसे और अधिक बढ़ाकर 2.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया तथा वर्तमान में यह वित्त वर्ष 2011-12 से 5.00 करोड़ रुपये प्रति वर्ष निर्धारित है।

(ख) मंत्रालय, निधि आवंटन में संशोधन के प्रस्तावों सहित विभिन्न हितधारकों से नियमित रूप से सुझाव प्राप्त करता है और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उनकी जांच करता है। वर्तमान में, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के तहत वार्षिक पात्रता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत, प्रत्येक माननीय संसद सदस्य अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या की परवाह किए बिना, प्रतिवर्ष ₹ 5.00 करोड़ प्राप्त करने का हकदार है। जबकि विधानसभा सदस्यों की स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमएलएलैड्स) और इसी प्रकार की अन्य योजनाओं के तहत वार्षिक पात्रता राज्यों में अलग-अलग होती है और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।
